भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5002

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं

†5002. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की कुल संख्या के संबंध में आंकडे रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें किसी वृद्धावस्था पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) देश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में पीएमएसवाईएम के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए वित्तीय अंशदान और जारी की गई कुल निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पीएमएसवाईएम और अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र जनसंख्या और वास्तविक कवरेज के बीच अंतर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित कामगारों को 3000/- रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या उससे कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपए से 200/- रुपए तक होती है। योजना के तहत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और सदृश

जारी/2---

अंशदान का केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के अपने नेटवर्क के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं।

दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या 52,54,217 है (5,06,603 लाभार्थियों के बल्क पंजीकरण सहित)। पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अभिदाता के अंशदान के बराबर ही मैचिंग अंशदान देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का निधि प्रबंधक है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच इस वृद्धावस्था पेंशन योजना योजना की कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(iii) नई सुविधाओं की शुरुआत: स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावे की स्थिति और खाता विवरण

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफा एकीकरण

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय भाषाओ में एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

(viii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत असंगठित कामगारों के लिए देशव्यापी विशेष नामांकन अभियान का निम्नानुसार आयोजन करना:

चरण I: शहरी क्षेत्र के लिए 15 जनवरी 2026 - 15 फरवरी 2026 तक जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया है।

चरण II: ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 फरवरी 2026 - 31 मार्च 2026

** ****

अनुबंध-I

"वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं" के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5002 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत राज्यवार पंजीकरण (दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकरण
1	हरियाणा	8,26,818
2	उत्तर प्रदेश	7,05,551
3	महाराष्ट्र	6,27,714
4	गुजरात	3,94,783
5	छत्तीसगढ	2,44,330
6	बिहार	2,33,780
7	कर्नाटक	2,14,358
8	ओडिशा	1,94,179
9	मध्य प्रदेश	1,93,002
10	आंध्र प्रदेश	1,79,412
11	राजस्थान	1,52,464
12	झारखंड	1,39,611
13	पश्चिम बंगाल	1,24,964
14	जम्मू और कश्मीर	96,476
15	तमिलनाडु	71,140
16	पंजाब	59,435
17	हिमाचल प्रदेश	48,124
18	असम	45,362
19	तेलंगाना	45,071
20	उत्तराखंड	42,882
21	त्रिपुरा	34,564
22	केरल	16,111
23	दिल्ली	11,762
24	पुदुचेरी	9,481
25	मेघालय	7,293
26	मणिपुर	6,131
27	नागालैंड	5,124
28	चंडीगढ़	4,407
29	अरुणाचल प्रदेश	3,302
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,380
31	गोवा	2,064
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,899
33	मिजोरम	1,779
34	लद्दाख	1,479
35	सिक्किम	360
36	लक्षद्वीप	22
	कुल	**47,47,614**
	वर्ष 2019-20 में बल्क पंजीकरण	**5,06,603**
	कुल	**52,54,217**

डाटा स्रोत: *maandhan.in*

अनुबंध-II

"वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं" के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5002 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-एसवाईएम योजना के तहत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण।

वित्त-वर्ष	**जीपीए अंशदान के लिए जारी राशि (रुपये करोड़ में)**
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25	232.11
2025-26	224.16
कुल	**1532.63**
